CNR No. UPVR010053702026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, वाराणसी

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र सं0 1762/2026

बादल साहनी पुत्र अनिल साहनी निवासी मोहल्ला किरहिया, थाना भेलूपुर, जिला वाराणसी।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। .....अभियोजक।

अपराध सं0–200/2026
धारा–109(1) बी0एन0एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट
थाना–शिवपुर, वाराणसी।

03–06–2026

प्रार्थी/अभियुक्त **बादल साहनी** की तरफ से उपरोक्त मामले में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो शपथ–पत्र से समर्थित है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 08–05–2026 को प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार वर्मा मय हमराह रिंग रोड पर था कि एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल सिधोरा अंडर पास से आती दिखाई दी जिसे रोकने का व घेरेबंदी का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल चालक गाडी मोडकर भागने के क्रम में फिसल गया और आड़ लेकर पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया तब वादी द्वारा सरकारी पिस्टल से एक राउण्ड तथा उ0नि0 गौरव सिंह ने दो राउण्ड फायर किया। बदमाश के गिरकर कराहने की आवाज सुनाई दी तो उसके पास पहुंचे तो देखे कि उसे दाहिने पैर के नीचे घुटने से नीचे खून आलूदा चोट है। बदमाश ने अपना नाम बादल साहनी बताया जिसके पास से एक अदद तमचा .15 बोर, .15 बोर फायदाशुदा एक अदद खोखा कारतूस, एक अदद जिंदा कारतूस .15 बोर व 3630/–रूपये की बरामदगी हुई।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत हेतु मुख्य रूप से तर्क लिया गया कि उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसे दिनांक 06–05–2026 को थाना शिवपुर की पुलिस कुछ पूछताछ के लिए ले गयी और फर्जी मुठभेड दिखाकर इस मुकदमे में चलान कर दिया। उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग नहीं किया गया। वह मौके से गिरफ्तार नहीं है। उसके पास से कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। वह निर्दोष है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा उपरोक्त जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर पुलिस बल पर जान से मारने की नियत से फायर किये जाने का अभियोग है। उसके पास से एक अदद तमचा .15 बोर, एक अदद खोखा कारतूस, एक अदद जिंदा कारतूस व 3630/–रूपये की बरामदगी होना अभिकथित है। घटना में किसी पुलिस वाले को कोई फायर आर्म इंजरी आना नहीं बताया गया है। कथित घटना, गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 08–05–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त दोषी है अथवा निर्दोष इसे विचारण के स्तर पर देखा जा सकता है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस न्यायालय के मत में मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **बादल साहनी** द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) का व्यक्तिगत बंध पत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करने पर बाद सत्यापन इस शर्त पर जमानत पर रिहा जाय कि अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा मामले के साक्षियों को आतंकित व प्रभावित नहीं करेगा।

दिनांक : 03–06–2026

(संध्या श्रीवास्तव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी

Steno-Md. Imran

JO Code-UP 6203

Digitally signed by SANDHYA SRIVASTAVA
Date: 2026.06.05 19:46:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court